न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 124/ 2015

रामेश्वरी देवी पुत्री रामनारायण जाति मेघवाल निवासी झाम्बर तहसील एवं जिला हनुमानगढ

वादीया

बनाम

1 पेमाराम पुत्र बख्तावर राम जाति मेघवाल निवासी खाट सजवार हाल आबाद मुक्ता प्रसाद कॉलोनी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

2 जगदीश पुत्र रामनारायण उर्फ रामलाल जाति मेघवाल निवासी खाट सजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 एल आर एक्ट

आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी स.प. धारा 151 सी पी सी

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री कुन्दनलाल चुग अधिवक्ता (वादीया/अप्रार्थीया)

2 श्री राजेन्द्र डाल अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1/प्रार्थी)

दिनांक :– 24.02.2020

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी संक्षेप में इन अभिकथनों के साथ पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत वादीया ने जानबूझकर गलत दर्ज की है, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण उर्फ पेमाराम पुत्र श्री बख्तावरराम है, वंशवृक्ष के अनूसार बख्ताराम के पांच पुत्र गोपालराम, हरिराम, रामलाल, बीरबलराम, रामनारायण उर्फ पेमाराम है, प्रार्थी के अलावा सभी फौत हो चूके है वंशावली से सम्बधित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न जवाबदावा पेश किये गय है वादीया ने अपनी व प्रतिवादी संख्या 2 की गलत वल्दियत दर्शाकर वाद पत्र पेश किया है, वादीय के भामाशाह कार्ड में पिता का नाम रामलाल दर्ज है, भामाशाह कार्ड की प्रति संलग्न जवाब दावा है। हस्तगत वाद पत्र के तथ्यों के समान ही पूर्व मे एक वाद प्रतिवादी संख्या 2 ने पेश किया था, पूर्ववर्ती वाद बअनवानी जगदीश बनाम पेमाराम वाद संख्या 180/2012 श्रीमान न्यायालय से पूनः वाद पेश करने की अनूमति नही देते हुये खारिज किया जा चूका है पूर्ववर्ती वाद के तथ्यों को दोहराते हुये प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाते हुये उक्त वाद पत्र पेश किया है पूर्व के वाद में वादीया पक्षकार प्रतिवादी मुकर्रर थी, वादीया द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, श्रीमान प्रबन्धक सेटलमेन्ट अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.06.1971 को प्रतिवादी संख्या 1 बख्तावरराम का विधिक वारिस घोषित किया जा चूका है, इसी आधार पर दिनांक 11.04.1984 को उक्त वाद में वर्णित भूमि की सनद प्रार्थी के नाम जारी होकर राजस्व रिकॉर्ड में उकत रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज हो चूका है, प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत हुआ है, उसके खिलाफ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

Scanned by CamScanner

विभिन्न न्यायालयों मे मुकदमें चले है, उसका पूरे रिकॉर्ड में पिता का नाम रामलाल दर्ज है दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न जवाब दावा है। प्रतिवादीसंख्या 1 को दिनांक 18. 061971 को विधिक वारिस घोषित किया गया है, वादीया को उक्त तथ्य की जानकारी अर्सा पूर्व थी, जिसको वादीया ने कभी किसी न्यायालय में चूनौती नही दी, 45 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद वादीया अपने व अपने भाई की वल्दियत परिवर्तित करवाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि गैर कानूनी तरीके से हड़प करने के लिये वाद पत्र लाई है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 स्व. रामलाल की सन्तान है, अपने पिता रामलाल का नाम रामनारायण दर्ज करवाना चाहती है, यह तथ्य स्वत्व परिवर्तन की घोषणा के तहत कवर होता है, इस प्रकार की घोषणा एव अनूतोष का श्रवणाधिकार सिविल कोर्ट के तहत आता है, वाद राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही है। पूर्ववर्ती वाद श्रीमान न्यायालय से खारिज हो चूका है, पूर्व के आदेशों को निष्फल करने के आश्य से प्रतिवादी संख्या 2 से कुंसयोजन करके वादीया ने नया वाद दायर किया है, पूर्व के आदेशों को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निगरानी के जरिये चुनौती दी जा चूकी है, निगरानी संख्या 5180 आज भी विचाराधीन है, निगरानी के विचाराधीन होने की वादीया को जानकारी है एव उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 पर जालसाजी के आरोप लगाकर प्रार्थीया ने एक फौजदारी प्रकरण स्थानीय पुलिस अनुसंधान में भी प्रार्थीया की कहानी झुठी साबित हुयी है, एफ आर पुलिस द्वारा माननीय ऐ सी जे एम न्यायालय में पेश हो चूकी है, वादीया द्वारा झूठे एव मनगढत कथन दर्ज करके प्रतिवादी संख्या 1 पर यह आरोप मढा गया है, कि प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकॉर्ड में कांट छांट की है यह आरोप पुलिस अनुसंधान में झुठा साबित हो चूका है, वाद वादीया बिनाय दावा हासिल नहीं होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत काबिले खारिजी के है, एव वादीया का वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही आता है, व वाद ना ही वाद हेतूक प्रकट करता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी मे मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थना पत्र के कथनों एव उनके समर्थन में जवबादावा के साथ पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य, के आधार पर वाद कारण हासिल नही होने एव श्रवणाधिकार से बाहर होने के आधार पर खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

वकील प्रार्थी/वादीया ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित चक 7 एस डी एस बी की भूमि वादीया के दादा बख्तवारराम पुत्र बन्नाराम व वादीया के पिता रामनारायण/रामलाल को हिन्द पाक विभाजन पर अलॉट हुयी थी, जिसमें वादीया के पिता नारायण/रामलाल का 1/2 हिससा था, वादीया के पिता रामनारायण की मृत्यू होने पर उसके नाम की भूमि के मालिक वादीया के पिता रामनारायण की मृत्यू होने पर उसके नाम की भूमि के मालिक वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 हकदार हुये वादीया के दादा बख्तावर सिंह की 1/2 हिस्सा की भूमि में वादीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनूसार वंशावली मे दर्ज के अनूसार हकदार हुयी। प्रार्थी पेमाराम ने अपने आप को बख्तावर राम का अकेला वारिस दिखाकर वारिस घोषित करवा लिया था, इसके खिलाफ अपील होने पर पेमाराम के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

हक मे हुआ उक्त आदेश खारिज हो गया था, पेमाराम को बख्तावरराम का वारिस घोषित किये जाने पर जगदीश ने उसकी अपील की अपीलेट कोर्ट में की अपीलेट कोर्ट ने पेमाराम को बख्तावरराम का अकेला वारिस घोषित करने के आदेश खारिज कर दिया था, संभागीय आयुक्त बीकानेर में चल रही कार्यवाही डीपी एक्ट के रिपीलड हो जाने के कारण समाप्त हो गयी राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से इन्द्राज हो जाने का अनूचित फायदा पेमाराम उठाने की फिराक में है और इसी अनुचित फायदा उठाने की गर्ज से वह उक्त भूमि को मुंतकिल करने की कोशिश में है। पूर्व में वाद पत्र जगदीश के द्वारा पेश किया गया था जगदीश व पेमाराम का आपस मे राजीनामा हो जाने से जगदीश ने वाद संख्या 180 / 2012 जरिये विड्रॉल वापिस ले लिया था, जिसमें प्रार्थीया को नही सुना गया, प्रार्थीया का हक व हिस्सा अपने पिता की आराजी मे है प्रार्थीया को नही सुने जाने पर प्रार्थीया ने अपने हको को निर्धारण करवाने के लिये माननीय न्यायालय मे उकत वाद पत्र पेश कियाथा संभागीय आयुक्त ने पेमाराम को बख्तावरराम का विधिक वारिस होने का वारिसनामा खारिज कर दिया था, जिसके पश्चात वह एक्ट के रिपीलड हो जाने के कारण तमाम कार्यवाही समाप्त कर दी गयी अब इस मामले को सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को दे दिया गया है, इसी कारण प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया। पेमाराम को बख्तावरराम का अकेला वारिस घोषित करने का आदेश खारिज हो चूका है, डी पी एक्ट रिपीलड होने के कारण सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को दे दिया गयाहै वादीया ने अपने हक व हिस्सा की आराजी की घोषणा हेतू वाद पत्र पेश किया है। जो विधिक है प्रार्थीया का पिता रानारायण उर्फ रामलाल है, प्रार्थीया ने अपने पिता की कोई वल्दियत नही बदली है एव आराजी की घोषणा के संबंध में राजस्व न्यायालय को क्षैत्राधिकार है सिविल न्यायालय को कृषि भूमि की घोषणा के संबंध मे कोई अधिकार नही है। पेमाराम ने जगदीश को यह आश्वासन दिया था कि वादग्रस्त भूमि जगदीश व रामेश्वरी की होगी, इस आश्वासन के पश्चात जगदीश ने जरिये विड्रॉल वाद वापिस लिया था। प्रार्थीया प्रतिवादीसंख्या 2 से किसी प्रकार का कुसंयोजन नही है वादीया अपने हक हिस्सा की आराजी की घोषणा पाने की अधिकारी है जगदीश ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की है तो जगदीश ने अपने हक हिस्सा के संबध मे निगरानी प्रस्तुत की है, प्रार्थीया व प्रतिवादीगण के बीच चल रहे विवादों में किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय नही हुआ है, वादीया के पिता का नाम रामनारायण है वादीया ने अपने पिता का नाम जहां कभी दर्शाया है, वहां रामनारायण लिखा है, पेमाराम जगदीश के नाबालिग होने का व वादीया के पिता रामनारायण का देहान्त होने का अनूचित लाभ उठाकर कूट रचना करके गलत रिकॉर्ड तैयार करवाया है, जिसकी वादीया ने वाद पत्र में चुनौती दी है, इस प्रकार पेमाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र विधि विरुद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीया अपने पिता की भूमि की हकदार है, वादीया के दादा बख्तावरराम व पिता रामनारायण / रामलाल के नमा की जमीन के हक व हिस्सा है वादीया को उक्त वाद पेश करने का कॉज ऑफ ऐक्शन अराईज होने पर वादीया ने उक्त वाद पत्र पेश किया है प्रार्थी पेमाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विधि से संबंधित कोई प्रावधान नही होने के कारण व आदेश 7 नियम 11 के प्रोविजो से संबधित प्रार्थना पत्र पेश नही होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी पेमाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7नियम 11 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी बमय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एव निवेदन किया डी एम का वारिस संबध में आदेश अभी भी स्टेण्ड कर रहा है, जगदीश का दावा पूनः दावा नही करने की शर्त पर खारिज हुआ है, उसकी निगरानी रेवेन्यू बोर्ड में चल रही है। भामाशाह कार्ड में पिता का नाम रमनलाल लिखा है, इसका भाई जगदीश खुद पटवारी था जिसके पिता का नाम रामलाल था उसी की बहन रामेश्वरी है। वकील अप्रार्थी/वादीया ने निवेदन किया मैंने वाद 136 व 88 का किया है रामेश्वरी रामनारायण की लड़की है रामनारायण उर्फ रामलाल के नाम से भूमि है, मैं रामनारायण उर्फ रामलाल की वारिस हूं, पेमाराम रामनारायण नही है यह रामनारायण बनने की कोशिश कर रहा है पेमाराम व रामनारायण अलग अलग व्यक्ति है मेरा अनूतोष राजस्व न्यायालय से ही मिल सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश किया है एव जवाब दावा के साथ दस्तावेज पेश किये है जिसमें पूर्व में विचाराधीन रहे वाद संख्या 180/2012 में वादीया पक्षकार प्रतिवादी मुकर्रर थी, जिसकी प्रति पेश की है . वाद दिनांक 13.07.2015 की फर्द अहकाम वादीया का भामाशाह कार्ड जिसमें उसके पिता का नाम रमनलाल अंकित है। प्रतिवादी संख्या 2 का शपथ पत्र दिनांक 31.05.1983 जिसमें उसने अपने पिता का नाम रामलाल होना स्वीकार किया है। सनद दिनांक 11.04.1984 प्रतिवादी संख्या 2 का शपथ पत्र जो सिटी मजिस्ट्रेट बीकानेर से तस्दीकशुदा है जिसमें भी प्रतिवादीसंख्या 2 ने अपने पिता का नाम रामलाल होना स्वीकार किया है एवंम् प्रतिवादी संख्या 1 को अपना चाचा होना अंकित किया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर के आदेश दिनांक 3.09.1996 की निगरानी संख्या 23/96 माननीय जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 12.2.1997 का अवलोकन किया जिसमें पेमाराम उर्फ रामनारायण एक ही व्यक्ति के नाम है, के निष्कर्ष के साथ प्रतिवादी संख्या 1 की निगरानी स्वीकार हुयी है प्रतिवादी संख्या2 के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 बीकानेर के निर्णय दिनांक 9.03.2007 में प्रतिवादीसंख्या 2 की वल्दियत जगदीशचन्द पुत्र रामलाल दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ नाम बदलने के आरोप लगाते हुये धारा 420 आई पी सी का प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में जरिये प्रथम सुचना संख्या 339/1996 दर्ज करवाया गया जिसमें पुलिस जांच में एफ आर पेश होने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 420 के आरोप प्रथम दृष्टया बनना नही पाये जाने पर एफ आर स्वीकृत की गयी, जिसकी प्रति पेश है एव अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पुलिस थाना सादुलशहर में एफ आई आर संख्या 84/2017 जरिये इस्तगासा अन्तर्गत धारा 418, 419, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी आई पी सी मे दर्ज करवायी गयी जिसमें ...संधान में भी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध मामला झूठा पाया गया, जिसमें

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

Scanned by CamScanner

भी एफ आर पेश हुयी है। एव वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो की वादीया के पिता का नाम रामनारायण हो एव प्रतिवादी संख्या 1 का नाम पेमाराम उर्फ रामनारायण होने के सम्बध में पत्रावली पर दस्तावेज उपलब्ध है एव वादीया रामलाल की पुत्री है इस सम्बध में प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादीया का भाई है एव प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध हुये आदेशों में प्रतिवादी संख्या 2 की वल्दियत रामलाल ही अंकित है एव पूर्ववर्ती वाद की निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है एव पूर्ववर्ती वाद विचाराधीन वाद की श्रेणी में आता है, जिस कारण वादीया को वाद हेतूक प्राप्त नही होता है , एव पक्षकारान के मध्य वल्दियत के सम्बध में विवाद है जो कि वारिस घोषित होने के सम्बध में सिविल न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार है एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया आदेश 7 नियम 11 सी पी सी स.प. धारा 151 सी पी सी से हिट होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 आदेश 7 नियम 11 सी पी सी , सपठित धारा 151 स्वीकार किया जाता है एव वाद वादीया इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

24.2.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.06 12:38:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: